न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

निर्णय दिनांक :– 4-2-20

मु.सं. 90/2020

उनवान

1. रामावतार शर्मा पुत्र स्व.श्री रामराय शर्मा आयु 54 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी–झांपदा कला, तहसील कोटखावदा हाल निवासी–ए–494, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल, जयपुर।

––वादी

बनाम

1 . मूलचन्द पुत्र श्री सोन्या आयु 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी–थूणी मदनमोहनपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\RAMAVTAR VS MOOLCHND.docx

वादी की ओर से वाद निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा पटवार हल्का देहलाला, भू अभिलेख निरीक्षक देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 360 से 362 कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.77 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादी का आराजी खसरा नम्बर 365, 366/2, 388 से 390, 395 से 398, 399/2 कुल किता 10 कुल रकबा 3.31 में वादी का हिस्सा 5/16 दर्ज है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से आराजी खसरा नम्बर 360 रकबा 0.45 हैक्टेयर खसरा नम्बर 361 रकबा 0.81 हैक्टेयर खसरा नम्बर 362 रकबा 0.51 है0 कुल खसरे 3 रकबा 1.77 है0 में से 0.45 है0 हैक्टेयर कृषि भूमि का 31.12.2019 को रजिस्टर्ड विनिमय पत्र करवाया था तथा कृषि भूमि के एकीकरण की दृष्टि से पारस्परिक विनिमय के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के वादी ने खसरा नम्बर 365 रकबा 0.002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366/2 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

399/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर हिस्सा 5/16 हैक्टेयर में से 0.45 हैक्टेयर का विनिमय डीड रजिस्टर्ड करवायी थी तथा वादी ने 0.45 हैक्टेयर का मौके पर कब्जा संभला दिया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने भी विनिमय डीड दिनांक 31.12.2019 को करवाकर वादी को 0.45 हैक्टेयर का कब्जा मौके पर संभला दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने मौखिक बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी को खसरा नम्बर 362. में से 0.35 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 360 में से 0.10 हैक्टेयर का कब्जा मौके पर वादी की लगती हुई अन्य निजी खातेदारी जमीन 366/1 व 399/1 के लगवा दिया है जो विनिमय डीड दिनांक 31.12.2019 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निष्पादित की गयी थी जिसकी पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 165 में पृष्ठ संख्या 135 क्रम संख्या 201903422101420 पर पंजीबद्द किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 515 के पृष्ठ संख्या 75 से 82 पर चस्पा किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का विनिमय डीड के दिन से ही खातेदारी की हैसियत से काबिज काश्त है। विनिमय डीड के पश्चात प्रार्थी वादी ने नामांतरण खुलवाने के बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय को दिनांक 10.01.2020 को पेश किया था किन्तु आज दिन तक नामांतकरण तहसीलदांर जी ने नहीं खोला जिस कारण राजस्व रिकार्ड में भी अंकन नहीं हो सका। वादी ने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पुनः दिनांक 24.01.2020 को निवेदन किया कि वादी ने जो का नामांतकरण खुलवाने के लिए पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया था जिस बाबत कार्यवाही करने हेतु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु कहा तब तहसीलदार महोदय ने कहा कि विनिमय डीड के दूसरे पक्षकार जों प्रतिवादी संख्या 1 है उसके भी हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लगवाओ। तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि तहसील में चल करके करके नामांतकरण की कार्यवाही एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाओ तो प्रतिवादी ने साफ इंकार कर दिया तथा कहा कि मैं तो कही नहीं जाऊंगा फिर तहसीलदार जी से निवेदन किया कि मैने आपके समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ विनिमय डीड प्रस्तुत की है आप राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामांतकरण व राजस्व रिकार्ड में अंकन कराओ पर प्रतिवादी संख्या 2 ने साफ इंकार कर दिया कि जब तक प्रतिवादी संख्या 1 नही आयेगा और प्रार्थना पत्र नही देगा तब तक मैं कोई नामांतकरण की कार्यवाही एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन नही कराऊंगा इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दोनों के साफ इंकार कर देने के पश्चात वादी को श्रीमान के समक्ष वाद दायर करना जरूरी हो गया तथा हिस्से की आराजीयात का जरिये वाद पत्र अपने नाम नामांतकरण करवाने तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर हक अधिकार घोषित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार महोदय

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

द्वारा दिनांक 24.01.2020 को व प्रतिवादी संख्या के इंकार करने के पश्चात कृषि भूमि बाबत माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वादी कृषि भूमि की घोषणा कराकर अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड में इंद्राज करवाने बाबत उक्त वाद प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है इसलिए वादी कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि जमीन अभी मेरे ही नाम है दूसरे लोगो को बेच दूंगा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसलिए श्रीमान प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दी गई धमकी के कारण विनिमय डीड की कृषि भूमि का न्यायालय हाजा से घोषणा कराकर अपने हिस्से का नामांतकरण खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाना आवश्यक हो गया। दावा बाबत घोषणा व हुक्म इम्तनाई दवामी का होने से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी कोटखावदा आवश्यक पक्षकार होने से उनको प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा तहसीलदार महोदय द्वारा ही नामांतकरण खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराना है। विवादित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय हाजा को यह दावा श्रवण एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा बाबत घोषणा हुक्म इम्तनाई दवामी एवं स्थायी .निषेधाज्ञा का होने से निश्चित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। राजस्व ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा पटवार हल्का देहलाला, भू अभिलेख निरीक्षक देहलाला तहसील कोटखावदा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जिला जयपुर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 360 रकबा 0.45 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 361 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.51 हैक्टेयर, कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में से 0.45 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नामांतकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाया जावे व उक्त ग्राम में ही प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 365 रकबा 0.002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366/2 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.20 हैक्टेयर खसरा नम्बर 396 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 399/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर में वादी का 5/16 हिस्सा में से 0.45 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे नामांतकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे । प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 360, 361, 362 में वादी को 0.45 हैक्टेयर कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे ना ही अन्य से करावे एवं वादी के कब्जे काश्त में मजामत नहीं

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करे। दावा वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी की जरिये अदालती सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 हाजीर अदालत आया व दावे का इकबाली जवाब दावा इस प्रकार पेश किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार है किन्तु नामांतकरण खुलवाने के बाबत तहसीलदार को किस दिनांक को प्रार्थना पत्र दिया था जानकारी नही है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 जिस प्रकार तहरीर की गई है. स्वीकार नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड में विनिमयडडॉड प्रतिवादी संख्या 4 के हक में भी हुई है तथा दोनों पक्षकारों को बराबर–बराबर जमीन मिली है। इसलिए प्रतिवादी के हक में भी नामांतकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया जावे। वाद पत्र की चरण संख्या 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है स्वीकार नही है। वादी ने जिस प्रकार तहरीर कौ है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी कोई धमकी वाली बात नही की। नामान्तकरण खुलवाने में प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 6 कानूनी है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 कानूनी है। वाद पत्र की चरण संख्या 8 कानूनी है। वाद पत्र की चरण संख्या 9 में वादी का वाद डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

राजस्व ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा पटवार हल्का देहलाला, भू अभिलेख निरीक्षक देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 360 रकबा 0.45 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 361 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.51 हैक्टेयर, कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में से 0.45 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नामांतकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाया जावे व उक्त ग्राम में ही प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 365 रकबा 0.002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366/2 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.20 हैक्टेयर खसरा नम्बर 396 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 399/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर में वादी का 5/16 हिस्सा में से 0.45 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे नामांतकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वाद पत्र की चरण संख्या 9 (ब) में वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 में वादी को कभी भी बेदखल करने की कुचेष्टा नही की। वादी 0.45 है0 पर काबिज काश्त है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किया जाने में प्रतिवादी संख्या 1 में आपत्ति नही है किन्तु वादी से प्रतिवादी संख्या 1 ने कृषि भूमि की विनिमय डीड करवाई है उसका भी नामान्तकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे। दावे का इकबाली जवाब दावा पेश होने पर वादी व प्रतिवादी स्वयं को सुना गया तो वादी व प्रतिवादी दोनो के द्वारा दावा स्वीकार कर मुताबिक विनिमय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाना जाहिर किया गया।

पक्षकारान की बहस पर गौर किया व दावा व इकबाली जवाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से आराजी खसरा नम्बर 360, 361, 362 किता 3 रकबा 1.77 है0 में से 0.45 है0 कृषि भूमि का 31.12. 2019 को रजिस्टर्ड विनिमय पत्र करवाया था व प्रतिवादी संख्या 1 के वादी ने खसरा नम्बर 365, 366/2, 388, 389, 390, 395, 396, 397, 398, 399/2 किता 10 रकबा 3.31 है0 मे से 0.45 है0 का विनिमय डीड रजिस्टर्ड करवायी थी। विनिमय डीड के पश्चात प्रार्थी वादी ने नामान्तकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार को पेश किया किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार को पेश किया किन्तु तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण नही खोला गया जबकि रजिस्टर्ड विनिमय डीड के आधार पर नामान्तकरण खोला जाना चाहिये था। अतः दावा वादी विनिमय डीड रजिस्टर्ड 31.12.2019 के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा तहसील कोटखावदा के खसरा नम्बर 360 रकबा 0.45 है0 361 रकबा 0.81 है0 362 रकबा 0.51 है0 किता 3 रकबा 1.77 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में से 0.45 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 365 रकबा 0.002है0, 366/2 रकबा 1.73 है0, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.24 है0 389 रकबा 0.02 है0, 390 रकबा 0.18 है0 395 रकबा 0.02 है0 396 रकबा 0.36 है0 397 रकबा 0.42 है0 398 रकबा 0.04 है0 399/2 रकबा 0.10 है0 किता 10 रकबा 3.31 है0 में वादी का 5/16 हिस्सा में से 0.45 है0 का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 360, 61, 362 में 0.45 है0 भूमि से बेदखल नही करे ना ही अन्य से करावे, ना ही कब्जे काश्त में मजाहमत करें निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.03.18 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: